संख्या- 32/2017/773/41-2017-22 यो0/16 टी0सी0

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 07 जून, 2017**

विषय- भारत सरकार के प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में बुद्धाथीम पार्क, सारंगनाथ तालाब, गुरूधाम मन्दिर एवं मारकण्डेय महादेव मन्दिर के पयर्टन विकास की योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-753/6-1-1 (प्रासाद वाराणसी)/2017, दिनांक 22-05-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भारत सरकार के प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में बुद्धाथीम पार्क, सारंगनाथ तालाब, गुरूधाम मन्दिर एवं मारकण्डेय महादेव मन्दिर के पयर्टन विकास हेतु शासनादेश सं0 62/2016/764/41-2016-22 यो0/16, दिनांक 24.05.2016 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कालम-3 में अंकित प्रशासकीय स्वीकृति एवं कालम-4 में अंकित प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति तथा शासनादेश सं 14/2017/232/41-2017-22 यो0/16, दिनांक 23.03.2017 द्वारा कालम-5 में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत की गयी है:-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5
1	बुद्धाथीम पार्क का पर्यटन विकास।	256.39	51.28	102.56
2	सारंगनाथ तालाब का पर्यटन विकास।	291.42	58.36	116.72
3	गुरूधाम मन्दिर का पर्यटन विकास।	82.08	16.41	32.82
4	मारकण्डेय महादेव मन्दिर कैथे का पर्यटन विकास।	302.71	60.54	121.08
5	गंगा नदी के दायें तट पर ग्राम कैथी में मारकण्डेय महादेव घाट का निर्माण।	408.20	81.64	163.28
		योग	268.23	536.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तृतीय किश्त के रूप में निम्न तालिका के प्रस्तर-7 में उल्लिखत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि	अवशेष धनराशि	तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बुद्धाथीम पार्क का पर्यटन विकास।	256.39	51.28	102.56	102.55	**51.28**
2	सारंगनाथ तालाब का पर्यटन विकास।	291.42	58.36	116.72	116.34	**58.17**
3	गुरूधाम मन्दिर का पर्यटन विकास।	82.08	16.41	32.82	32.85	**32.85**
4	मारकण्डेय महादेव मन्दिर कैथे का पर्यटन विकास।	302.71	60.54	121.08	121.09	**60.55**
5	गंगा नदी के दायें तट पर ग्राम कैथी में मारकण्डेय महादेव घाट का निर्माण।	408.20	81.64	163.28	163.28	**81.64**
		योग	**268.23**	**536.46**	**536.11**	**284.49**

(1) उपर्युक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पर्यटन मंत्रालय (प्रासाद डिवीजन), भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0 5-प्रासाद (11)/2015, दिनांक 17-03-2016 में उल्लिखित कार्यमद/लागत एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) उक्त प्रायोजनाओं का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही तृतीय किश्त की धनराशि का व्यय/उपयोग इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही कि महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त की धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से अनिवार्य रूप से करा ली जायेगी अर्थात उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त की धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा कार्य हेतु निर्धारित मानकों/गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन किया गया है एवं सक्षम स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2017 बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को ससमय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि अप्रयुक्त/शेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(11) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4. प्रस्तर-3 मे स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017 बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 32/2017/773(1)41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
7- मुख्य अभियन्ता, (सोन) सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी इकाई-2, वाराणसी।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।